पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
Email Id-academicprsu3@gmail.com Phone No. 0771-2262540

क्रमांक/ 1119 /अका./सम्बद्धता/2025 रायपुर, दिनांक 23/06/2025

//आदेश//

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 05.06.2025 की अनुशंसा एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 10.06.2025 के अनुमोदनानुसार, **स्पेक्ट्रम कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ग्राम–नरदहा, जिला–रायपुर** को निम्नानुसार दर्शित कक्षा/विषय के लिये सत्र 2025–26 से अस्थायी सम्बद्धता सशर्त प्रदान की जाती है :–

क्र.	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
1.	B.Com. (C.A.)-I	40	2025-26
2.	D.C.A.	40	2025-26

शर्तें :–

1. महाविद्यालय को छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के पत्र क्रमांक एफ 17–19/2022/38–2 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 24/04/2025 के द्वारा पाठ्यक्रम की सशर्त अनुमति प्रदान की गई है। शासन के आदेश पर किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर, पाठ्यक्रम की संबद्धता निरस्त करने की नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
2. प्रवेश हेतु छत्तीसगढ़ शासन प्रवेश मार्गदर्शिका के सिद्धांत एवं विश्वविद्यालय के अध्यादेशों का नियमानुसार पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।
3. प्रावधानानुसार महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों से किसी भी प्रकार का डोनेशन न लिया जाये।
4. शिक्षकों/कर्मचारियों को नियमानुसार पूर्ण वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से की जावे।
5. इण्डोमेंट फण्ड की राशि कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर एवं संस्था प्रमुख के संयुक्त नाम पर सावधि खाते में जमा करेंगे। यदि पूर्व में राशि जमा की जा चुकी है तो एफ.डी.आर. की छायाप्रति प्रस्तुत करेंगे।
6. समय–समय पर विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
7. जाँच प्रतिवेदन के भाग 'ब' में निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों (प्रति संलग्न) की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण कर विश्वविद्यालय को सूचित करेंगे।
8. परिनियम 28 के तहत् न्यूनतम/आवश्यक शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति आदेश निर्गमन की तिथि से 03 माह के भीतर नियुक्त/पूर्ण कर, विश्वविद्यालय को सूचित करेंगे।
9. शासन द्वारा जारी पत्र की सभी शर्तों के पालन 03 माह के अंदर पूर्ण कर, विश्वविद्यालय को सूचित करेंगे।
10. परिनियम–27 एवं 28 का पालन करना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त शर्तों की पूर्ति न करने की स्थिति में महाविद्यालय को दी जा रही विषयों की सम्बद्धता आगामी सत्र से वापस ले ली जाएगी।

आदेशानुसार,

उप कुलसचिव (अका.)

पृ. क्रमांक/ 1120 /अका./सम्बद्धता/2025 रायपुर, दिनांक 23/06/2025

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक–सी, द्वितीय/तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)
2. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपु र (छ.ग.)
3. संचालक/प्राचार्य, आर्यभट्ट कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, कोपरा, जिला–गरियाबंद (छ.ग.)
4. उप–कुलसचिव परीक्षा/विकास/स.कु.स. नामांकन/गोपनीय/वित्त नियंत्रक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
5. विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) को इस निवेदन के साथ कि इसे विश्वविद्यालय के वेबसाईट में सूचना अपलोड करावें।
6. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ।

कक्ष अधिकारी (अका.)

भाग "ब"

भाग "अ" में दी गई जानकारी के सत्यापन के बाद निरीक्षण समिति द्वारा भरा जाए।

प्रस्तावित पाठ्यक्रम के संचालन के लिए निरीक्षण समिति का बिन्दुवार प्रतिवेदन।

(प्रतिवेदन में अनशंसा न की जाए अपितु पात्रता/अपात्रता का स्पष्ट उल्लेख किया जाए। कमियों का स्पष्ट उल्लेख किया जाए, जिन्हें सम्बद्धता के लिये शर्त के रूप में मान्य किया जा सके।)

निरीक्षण आदेश कमांक : 3898/अका./2024 दिनांक 25-07-2024

निरीक्षण की तिथी : 21-08-2024

प्रस्तावित पाठ्यक्रम का विवरण जिसके लिये सम्बद्धता चाही गई है:-

कक्षा	विषय	अपेक्षित सीट	सत्र	वर्तमान सत्र में प्रवेश की स्थिति
B.Com.	C.A.	40	2022-23	Nil
DCA.		40	नवीन विषय	Nil

क.	विवरण	भाग "अ" में बिन्दु कमांक	पात्रता/कमियों का विवरण
1.	समिति/संस्था के पंजीयन की वैधता	1(ii)	वैध है।
2.	समिति के नाम अविवादित स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि	1(iv)	5.37 एकड़
3.	इडोमेंट फण्ड में जमा की गई राशि	1(v)	20 लाख (15 लाख का नवीनीकरण कराना है)
4.	शासी निकाय के अध्यक्ष/सचिव के कार्यकाल की अंतिम वैधता तिथि	2(iii), 2(v)	2024 तक
5.	महाविद्यालय स्वयं के भवन में संचालित है अथवा नहीं?	3(xii)	स्वयं का भवन है।
6.	महाविद्यालय भवन में मानदंड के अनुरूप कक्षों की उपलब्धता	3(xiv)	उपलब्ध है।
7.	यदि प्रस्तावित पाठ्यक्रम में प्रायोगिक विषय शामिल हो तो प्रयोगशाला हेतु कक्षों की उपलब्धता	3(xvi)	उपलब्ध है।
8.	प्रयोगशाला हेतु उपकरणों उपलब्धता	3(xvi)	कम से कम 10 नये Configuration के Computer और Licensed Software क्रय करने की आवश्यक है।
9.	प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिये विषयवार शिक्षकों की पर्याप्तता/आवश्यकता	5(viii)	परिनियम 28 में वाणिज्य और कंप्यूटर विषय के शिक्षकों को नियुक्त करने की आवश्यकता है।

B.U. ACADEMIC DEPARTMENT
Date 3/9/24

10.	ग्रंथपाल एवं ग्रंथालय में प्रस्तावित पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकों की उपलब्धता / आवश्यकता	7(i), 7(vi)	ग्रंथपाल है। पुस्तक पाठ्यक्रम के अनुसार क्रय करने की आवश्यकता।
11.	महाविद्यालय में उपलब्ध अन्य सुविधायें	9	खेल कूद का मैदान, wifi, की सुविधा है।
12.	यदि द्वितीय / तृतीय वर्ष की कक्षाओं की सम्बद्धता निरीक्षण हो तो पूर्व में निरीक्षण समिति द्वारा बताई गई कमियों एवं दिए गए सुझावों कि क्या सभी शर्तें पूर्ण कर ली गई है?	—	
13.	अन्य कोई महत्वपूर्ण तथ्य जो निरीक्षण समिति उल्लेखित करना चाहे		
14.	कृपया उन कमियों का स्पष्ट उल्लेख करें जिन्हें सम्बद्धता प्रदान किये जाने की स्थिति में शर्त के रूप में मान्य किया जा सके।	1. कंप्यूटर एवं वाणिज्य विषय में परिनियम 28 में 2-2 शिक्षक नियुक्त करने की आवश्यकता है।	

2. पुस्तकालय में पाठ्यक्रम के अनुसार छात्र संख्या के अनुपात में पुस्तक क्रय करने की आवश्यकता है।
3. नवीन Configuration के 10 computer क्रय करने की आवश्यकता है।
4. पाठ्यक्रम के अनुसार Licensed Software क्रय करने की आवश्यकता है।

निरीक्षण समिति के संयोजक का नाम एवं हस्ताक्षर

21-08-2024

दिनांक 21-08-2024

(Sanjay Kumar)

निरीक्षण समिति के सदस्यों के नाम एवं हस्ताक्षर
1.
2.
3.
4.
...

प्रति,
कुलसचिव
पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
रायपुर (छ.ग.)

21/8/24
(Vijay Agrawal)

21/08/24
(Dr A.K. Tiwari)